(1)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

निगरानी – 3025/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

मोहन सिंह तनय श्री रूप सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम बकपुरा तह.वजिला टीकमगढ़

..पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म०प्र०शासन

..प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ म.प्र. के प्र०क्र०3निग०/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 26/3/2018 केविरुद्ध अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा०सं० 1959

– – – – – –

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता को ग्राम बकपुरा अंतर्गत तहसीलदार वजिला टीकमगढ़मे ख.न.514,520 का विधिवत दखिल रहित भूमि के अंतर्गत प्र०प्र० व्यवस्थापन के अंतर्गत प्र०क्र070/अ-19(4)/85-86 आदेश दि० 19/5/86 के अनुसार किया गया था जिसकी इन्द्राजी इत्लायबी इत्लायबी पंजी (शासकीय आदेशो को अमल करने का रजिस्टर मे अंकित कियागया था तत्पश्चात उक्त इत्लायबी पंजी के आधार पर उक्त अमल राजस्व रिकार्ड मे अंकित किए जाते जिसकी जिम्मेवारी तत्कालीन पटवारी की थी परंतु तत्कालीन पटवारी ने र रजजस्वरिकार्डमेअमल नही किया जो पटवारी की भूल रही है।

2. यह कि उक्त पटटा प्राप्ति के पश्चात पुनरीक्षणकर्ता ने प्रश्नाधीन भूमि मेमेहनत मजदूरी करके उक्त भूमि मे फसल उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थि बढा कर वर्ष 1999- एव वर्ष 2000 मे अपने परिवार मेकुछ भूमिया क्रय की जो समस्त परिवार मे भूमि का रकवा वर्तमान मे 10.77हे० हो गया है है परंतु पटटा प्राप्ती दिनांक 18/3/86 को समस्त भाइयों केपरिवार मे मात्र सभी क रकवा मिला कर 5.783हे० भूमि थी जो सभी भाइयो मे पारिवारिक विभाजन के पश्चात 2.023हे० से कम रकवा होनेके कारण व्यवस्थापन किया गया था। नायब तहसीलदार समर्रा के द्वारा एक प्रतिवेदन अनुविभागीयअधिकारी टीकमगढ़

श्री .... 16.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6.6.18 नियत।
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

16/5/18
दिनांक डीजिट अधि. ...

दिनांक 16.5.18
हस्ताक्षर व नाम

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3024/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-06-2018	आवेदक की ओर से श्री डी.के. पासी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 26-03-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि पट्टा दिनांक को आवेकद व उसके परिवार के पास 5.83 हैक्टेयर भूमि धारित थी । जिस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के नाम का पट्टा खारिज किया जाकर भूमि शासकीय दर्ज करने का आदेश दिये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अपर कलेक्टर द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	